न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर

व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 02/2020

खैमचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति वैश्य निवासी खारीकुईया मौहल्ला कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1—श्रीमती राधादेवी पत्नि भंवरी जाति जांगिड ब्राहमण नियासी सूरजबाग कालोनी कस्बा कामां तहसील कामां (मृतक)

1/1 श्याम सुन्दर

1/2 विनोद पिसरान भंवरी जाति जांगिड ब्राहमण निवासी सूरजबाग कालोनी कस्बा कामां

2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए0 राज0काश्त0अधि0

अधिवक्ता

प्रार्थी फूलचन्द गुप्ता

अप्रार्थी अमित शर्मा

निर्णय

दिनांक :— 28.12.2022

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे का खसरा नम्बर 4226 जो अब 7325/4226 रकवा 46 एयर हो गया । कामां नम्बर 2 कस्बा कामां में स्थित है तथा इसके उत्तर में खसरा नम्बर 4225 जो अब 7322/4225 हो गया । कामां नम्बर2 कस्बा कामां में स्थित है और प्रार्थी के खसरा नम्बर 4226 के उत्तर में अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है जो उसने गिर्राज प्रसाद सोनी पुत्र डालचन्द सोनी से 3/8 हिस्सा संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी है । जमाबन्दी खसरा नम्बर 4226 व 4225 की किता 2 जमाबन्दी सं0 2067 से 2070 नक्शा पेश है । प्रार्थी का नम्बर 4226 के लिये उत्तर में स्थित सडक सरकारी से आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 4225 में दीनू पुत्र छुटनिया निवासी टायरा के कब्जे के हिस्से के सहारे वाजानिब पश्चिम में है, में होकर रास्ता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उसके खसरा नम्बर 4226 में जाने जाने का रास्ता 30 फुट चौडा नहीं दे रहा है जबकि प्रार्थी के खसरा नम्बर 4226 में आने जाने के लिये और कोई रास्ता की जगह नहीं है अप्रार्थी ने दिनांक 8.2.2020 प्रार्थी को रास्ता देने से इंकार कर दिया है । तथा रास्ते को रोकने के लिये प्रार्थी के खसरा नम्बर 4226 में पत्थर डालकर दीवार निर्माण करना चाहता है । प्रार्थी की पत्नि ने अप्रार्थी संख्या 2 से दिनांक 8.2.2020 को निवेदन भी किया कि अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 4226 के लिये रास्ता नहीं दे रहा है जबकि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ते की जगह का मुआवजा देने को तैयार है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसके खसरा नम्बर 4226 में आने जाने के लिये प्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से के रकवे खसरा नम्बर 4225 मे से 30 फुट चौडा रास्ता का मुआवजा लेकर प्रार्थी का रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जबाव पेश किया कि प्रार्थी द्वारा मनगढन्त तरीके से तथ्यों को अंकित किया है । प्रार्थी को पूर्व से ही आने जाने का रास्ता उपलब्ध है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को महज तंग व परेशान करने व नजायज दबाव बनाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है । प्रार्थी ने मद सं0 2 के तथ्यों को तोड मोड कर पेश किया है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को रंगत लाने के लिये प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है । अप्रार्थीगण के रिहायशी मकानात बने हुये हैं । जिसमें परिवार सहित अप्रार्थीगण रिहायश करते चले आ रहे है । अप्रार्थीगण के अलावा आराजी ख0न07325/4225 वाके कस्बा कामा नं0 2 में अन्य सहखातेदारान संजीदा दीनू हृदेश व अन्य सहखातेदारान के रिहायशी मकानात बने हुए है । प्रार्थी द्वारा महज अप्रार्थीगण को ही पक्षकार बनाया गया है अन्य सहखातेदारान को पक्षकारान नही बनाया गया है । एव कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत भी रिहायशी मकानों में होकर रास्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले खारिज है । अप्रार्थीगण सं0 2 द्वारा उसमें रिहायशी मकानात दर्शाये गये है। एव खसरा नम्बर 7325/4225 में कोई भी तरमीम नहीं है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होन के कारण काबिले खारिज है । अप्रार्थीगण द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया है उसमे पूर्ण रूपेण विस्तृत विवरण किया गया है । विस्तृत नक्शा निम्न प्रकार है :- खसरा नम्बर 4225 में ए-1 खाली है, मार्क ए-2 खाली व माईनर पानी की बनी है मार्क बी सी डी ई मकानात रिहायश व जमीन बोउण्ड्री अप्राथीगण श्यामसुन्दर विनोद पिसरान भंवरी जांगिड के है । मार्क डीईएफआई मकान रिहायश व जमीन बाउण्ड्री दीनू मेव के है । मार्क एफआईजे के डन्डा बाउण्ड्री व तीन शेड हरदेश पत्नि विजय गुसाईं के है । मार्क जे के एल एम कमरा व डन्डा, साजिदा पत्नि रहीश मेव के हैं मार्क माईनर एन ओ माईनर पानी की बनी हुई है जो करीब 30 30 फुट मध्य से चौडी दोनो तरफ है । मार्क एन0ओ0 माईनर पानी प्रार्थी के खसरा नम्बर 4226 में से ही निकल रहीं है । कामां रोड टायरा मोड के पास से ही एक कच्चा रास्ता मार्क एक्स वाई करीब 10 फुट चौडा है जो खसरा नम्बर प्रार्थी के 4226 तक जाता है । प्रार्थी के पास पहले से ही अन्य रास्ते अपने खसरा नम्बर पर आने जाने के लिये मौजूद है प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 4226 पर जाने के लिए माईनर मौजूद है , कच्चा रास्ता काफी पुराना बना हुआ है । इसके बावजूद अप्रार्थीगण के रिहायशी मकानात में से रास्ता मांग रहा है एवं प्रार्थी ने खसरा नम्बर 4225 जो कि अप्रार्थीगण का है के अन्य सह खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है प्रार्थना पत्र मैन्टबिल नहीं होने के कारण काबिले खारिज है ।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौका कमिश्नर हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त बावत प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर श्री देवेन्द्र सिंह एडवोकेट का मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया । रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आदेशानुसार दिनांक 16.07.2022 को मौका निरीक्षण हेतु विवादित रास्ते को जांच हेतु मौके पर मय राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजों के पहुंचा। मौके पर दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता श्रीफूलचन्द गुप्ता के जुनियर अधिवक्ता श्री भारतशेखर शर्मा व श्री अमित कुमार शर्मा गैरसायल अधिवक्ता मय पक्षकारान उपस्थित मिले। मौके पर ही मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार है कि C1-C2 कामां टायरा रोड़ है मार्क ABCD पर लैट-बाथ कमरा मकान श्यामसुन्दर वगैरा का है। मार्क CDEF मकान मृतक दीनू मेव का है मार्क EFGH मकान हृदेश का है मार्क GHIJ मकान साजिदा मेव का है मार्क B2 खसरा नम्बर 4226 प्रार्थी का दर्ज रिकॉर्ड है मार्क B1 खसरा नम्बर 4224 है मार्क B3 खसरा नम्बर 4228 है मार्क A1 से A2 कच्चा रास्ता करीब 10-12 फुट है जो खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज.

नम्बर 4228 से लगता हुआ खसरा नम्बर 4226 के छोर तक जाता है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मार्क ABCDEFGHIJ मकानात खसरा नम्बर 4225 में बने हुये हैं सभी के पक्के मकानात बने हुये हैं मार्क ABCD मकान श्यामसुन्दर वगैरा ने 5–6 फुट की चार दीवारी कर दो पक्के कमरा, लैट, बाथ–रूम, रसोई आदि बनाई हुई है जिसमें श्यामसुन्दर रिहायस कर रहा है। जिसको नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 4225 में 0.03 रकबा सिंचाई विभाग दर्ज रिकॉर्ड है व सुर्ख रंग नीला मार्क X-Y माईनर (नहर) जा रही जो कामां टायरा रोड़ से कामां–कोसी रोड़ तक जाती है। खसरा नम्बर 4225 में मार्क ABCDEFGHIJ मकानात के पीछे खसरा नम्बर 4226 है खसरा नम्बर 4226 की पूर्व दिशा मेड के लगती हुई माईनर है जो दोनों तरफ से 15–15 फिट की चौडाई की पटरी के बनी हुई है। उक्त माईनर खसरा नम्बर 4226 से 4228 व उसके आगे के खसरा नम्बर तक गई है जो कामां–कोसी सड़क तक लगी हुई है जिसे नजरी नक्शा में दर्शाया है। मार्क X-Y सुर्ख रंग नीला माईनर है एवं जो मुख्य सड़क सरकारी कामां–टायरा रोड़ पर सीधा से कामां कोसी रोड़ सरकारी तक जोडती है जिसके रंगीन फ़ोटो ग्राफ्स लिये गये हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2067 2070, नक्शा ट्रेस किता 2 पेश किये है ।

वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की जिसमें उन्होने लिखा है कि प्रार्थना पत्र 251ए का प्रार्थी द्वारा इस आशय का पेश किया है कि खसरा नम्बर 4226 में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं0 1 से अपने हिस्से के रकवे खसरा नम्बर 4225 में से 30फुट चौडा रास्ता दिया जावे । खसरा नम्बर 4225 का रकवा 0.48हैक्टर का रकवा है जिसमें 12 सहखातेदार है । इसी रकवा में से 0.03 हैक्ट0 का रकवा मकबूजा महकमा सिंचाई विभाग कामां का दर्ज रिकार्ड है । जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है । जिसके कारण सभी पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस कारण प्रार्थना काबिले खारिजी है । खसरा नम्बर 4225 के अपने हिस्से 3/8 पर पक्का रिहायशी मकान बना कर निवास किया जा रहा है । और भी सहखाते दारान के मकान बने हुये हैं । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट में भी अप्रार्थी का पक्के रिहायशी मकान में से रास्ता प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता है । अप्रार्थी व उसके परिवार का इसके अलावा कोई भी रिहायशी मकान नहीं है । पक्के मकान में से रास्ते के लिए सुखाधिकार के तहत मात्र सिविल न्यायालय को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । इसके लिए माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की रूलिग है (रामसिह वगैरा बनाम सुशील civil writ NO 705/2016)
खसरा नम्बर 4225 में अन्य सहखातेदार ने भी पक्के मकान बना कर रिहायशी की जा रही है इस तथ्य को छुपाया गया है । प्रार्थी शुद्ध हाथों से नहीं आया है । अप्रार्थी द्वारा एक नक्शा पेश किया है कि एन–0 माइनर को दर्शाया है वह माइनर टायरा रोड से कामां कोसी रोड तक जाती है । जो करीब 20 20 फुट चौडी है । जो प्रार्थी के लिए सबसे सरल रास्ता आने जाने के लिए मौजूद है । इसके बावजूद प्रार्थी ने अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । जो कि सारहीन है । प्रार्थी के खेतो पर आने जाने का अन्य रास्ता करीब 40 वर्ष पुराना कामां कोसी रोड से प्रार्थी की आराजी तक आने जाने का मौजूद है । जिसे अप्रार्थी द्वारा पेश कर नक्शे में मार्क एक्स ट्र वाई दर्शाया है । एवं यह रास्ता आराजी खसरा नम्बर 4255, 4242, 4228 व प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 4226 तक जाता है । जो प्रार्थी का सुविधाजनक रास्ता है । पूर्व से रास्ता होते हुए नए रास्ते की मांग करना अनुचित है प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है । आराजी मुतदाविया में सहखातेदारान के मकान बने हुए है और

मकान के अन्दर से प्रार्थी को कानूनन रास्ता नही दिया जा सकता है । जिसके सन्दर्भ मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की रूलिंग गिरदावरी वगैरा बनाम सुल्तान राम वैगरा आर.आर.टी. 20170(1) पेज 423 पेश की है । मौका कमिश्नर रिर्पोट में भी यह अंकित है कि खसरा नम्बर 4225 में मार्क abcdefghijमकानात के पीछे खसरा नम्बर 4226है खसरा नम्बर 4226 की पूर्व दिशा की मेड के लगती हुई माईनर है जो दोनो तरफ से 15–15 फुट की चौडाई की पटरी में बनी हुई है। उक्त माइनर खसरा नम्बर 4226 से 4228 व उसके आगे के खसरा नम्बर तक गई है । जो कामा कोसी रोड तक लगी है । जो कि प्रार्थी के लिए सरल रास्ता है । अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने के योग्य है ।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्य को दोहराया है । तथा उक्त खसरा नम्बर 4225में से 30 फुट रास्ता का मुआवजा लेकर प्रार्थी को रास्ता दिया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अधिवक्ता की बहस को सुना जिसमें अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में खसरा नम्बर 4226 में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं0 1 से अपने हिस्से के रकवे खसरा नम्बर 4225 में से 30फुट चौडा रास्ता दिया जाना बताया है । खसरा नम्बर 4225 का रकवा 0.48हैक्टर का रकवा है जिसमें 12 सहखातेदार है । इसी रकवा में से 0.03 हैक्ट0 का रकवा मकबूजा महकमा सिंचाई विभाग कामां का दर्ज रिकार्ड है । जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है । जिसके कारण सभी पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस कारण प्रार्थना काबिले खारिजी है । खसरा नम्बर 4225 के अपने हिस्से 3/8 पर पक्का रिहायशी मकान बना कर निवास किया जा रहा है । और भी सहखातेदारान के मकान बने हुये है । तथा रिहायशी मकान में सिविल न्यायालय को ही सुनवायी का क्षेत्र अधिकार होने बाबत रामसिह बनाम सुशील civil writ N0 705/2016)का उल्लेख किया है । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की रूलिंग गिरदावरी वगैरा बनाम सुल्तान राम वैगरा आर.आर.टी. 20170(1) पेज 423 पेश की जिसके अलावा एन–0 माइनर को दर्शाया है वह माइनर टायरा रोड से कामां कोसी रोड तक जाती है । जो करीब 20 20 फुट चौडी है । जो प्रार्थी के लिए सबसे सरल रास्ता आने जाने के लिए मौजूद है । आम रास्ता से आम लोगों के जाने आने का रास्ता बतलाया है । तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है । तथा मौका कमिश्नर श्री देवेन्द्र सिंह एडवोकेट द्वारा अपने मौका रिपोर्ट में मौके पर दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता श्रीफूलचन्द गुप्ता के जुनियर अधिवक्ता श्री भारतशेखर शर्मा व श्री अमित कुमार शर्मा गैरसायल अधिवक्ता मय पक्षकारान उपस्थित मिले। मौके पर ही मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार है कि C1-C2 कामां टायरा रोड है मार्क ABCD पर लैट–बाथ कमरा मकान श्यामसुन्दर वगैरा का है। मार्क CDEF मकान मृतक दीनू मेव का है मार्क EFGH मकान हुदेश का है मार्क GHIJ मकान साजिदा मेव का है मार्क B2 खसरा नम्बर 4226 प्रार्थी का दर्ज रिकॉर्ड है मार्क B1 खसरा नम्बर 4224 है मार्क B3 खसरा नम्बर 4228 है मार्क A1 से A2 कच्चा रास्ता करीब 10–12 फुट है जो खसरा नम्बर 4228 से लगता हुआ खसरा नम्बर 4226 के छोर तक जाता है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मार्क ABCDEFGHIJ मकानात खसरा नम्बर 4225 में बने हुये हैं सभी के पक्के मकानात बने हुये हैं मार्क ABCD मकान श्यामसुन्दर वगैरा ने 5–6 फुट की चार दीवारी कर दो पक्के कमरा, लैट, बाथ–रूम, रसोई आदि बनाई हुई है जिसमें श्यामसुन्दर रिहायस कर रहा है। जिसको नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 4225 में 0.03 रकबा सिंचाई विभाग दर्ज रिकॉर्ड है व सुर्ख रंग नीला मार्क Y-Y माईनर (नहर

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

जा रही जो कामां टायरा रोड़ से कामां–कोसी रोड़ तक जाती है। खसरा नम्बर 4225 में मार्क ABCDEFGHIJ मकानात के पीछे खसरा नम्बर 4226 है खसरा नम्बर 4226 की पूर्व दिशा मेड के लगती हुई माईनर है जो दोनों तरफ से 15–15 फिट की चौडाई की पटरी के बनी हुई है। उक्त माईनर खसरा नम्बर 4226 से 4228 व उसके आगे के खसरा नम्बर तक गई है जो कामां–कोसी सड़क तक लगी हुई है जिसे नजरी नक्शा में दर्शाया है। मार्क X-Y सुर्ख रंग नीला माईनर है एवं जो मुख्य सड़क सरकारी कामां–टायरा रोड पर सीधा से कामां कोसी रोड़ सरकारी तक जोडती है जिसके रंगीन फोटो ग्राफ्स लिये गये हैं।

हमने वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी । जिसमें अप्रार्थी द्वारा मुख्य सडक सरकारी से कामां–टायरा रोड पर सीधा कामां कोसी रोड सरकारी तक जोडने बाला रास्ता बतलाया है तथा मौका कमिश्नर द्वारा दोनो पक्षकारान अधिवक्ताओ की मौजूदगी में इसी मुख्य सडक सरकारी से कामां–टायरा रोड पर सीधा कामां कोसी रोड सरकारी तक जोडने बाला रास्ता बतलाया है । प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते अप्रार्थी के पक्का निर्माण बतलाया है । दूसरा रास्ता होने की स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थना पत्र 251ए खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का वर्तमान में मुख्य सडक सरकारी से कामां–टायरा रोड पर सीधा कामां कोसी रोड सरकारी तक जोडने बाला रास्ता मोजूद होने के कारण प्रार्थना पत्र 251 ए इस आधार पर खारिज किया जाता है । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कामां